इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)/प्रत्यक्ष आहरण आवेदन प्रपत्र

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE

☐ ईसीएस ☐ प्रत्यक्ष आहरण के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के लिए दिशा-निर्देश शाखा कोड ____________

प्रति, शाखा प्रबंधक,

बैंक : ____________

शाखा : ____________

आवेदन क्रमांक	पॉलिसी क्रमांक	आवृत्ति	राशि (₹) में*	प्रारंभ तिथि	समापन तिथि	प्राथमिकता तिथि

प्राथमिकता तिथि आवेदन दाखिल करने/नियत तिथि से 13 दिनों के अंदर हो सकती है.

संदर्भ : बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए और/या कम्पनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/प्रत्यक्ष आहरण निकासी सेवा के माध्यम से शुरू किए गए भुगतान के लिए जमा प्राप्त करने हेतु स्वीकृति. मैं एतद् द्वारा बैंक को मेरे खाते से राशि आहरित कर आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेन्स कं. लि. द्वारा भेजी गई माँग के आधार पर आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेन्स कं. लि. को भुगतान करने के लिए निर्देश देता/देती हूँ.

खाताधारक का नाम (जैसा बैंक खाते में उल्लेखित है) ____________

संपर्क नं. : एसटीडी ____ निवास ____ एसटीडी ____ कार्यालय ____ एक्स. ____ आईएसडी ____ मोबाइल ____

ई-मेल आईडी : ____________

बैंक का नाम ____________

शाखा का नाम और पता ____________

सीबीएस खाता क्रमांक ____________ **आईएफएससी कोड :** ____________ (सिर्फ़ भुगतान की स्थिति में अनिवार्य)

एमआईसीआर कोड : ____________ **बैंक द्वारा जारी चेक प्रति पर दर्शाया गया 9 अंकों का कोड. कृपया एमआईसीआर कोड को सत्यापित करने के लिए निरस्त चेक की एक प्रति भी संलग्न करें.**

खाते का प्रकार : ☐ **चालू खाता** ☐ **बचत खाता** ☐ **नकदी ऋण खाता** **चालू खाता होने की स्थिति में आदेश पत्र परकृपया ट्रेडमार्क युक्त व्यवसाय संघ/कम्पनी की मोहर लगाएँ.**

☐ **हाँ, मैंने एक रिक्त निरस्त चेक/उसकी छायाप्रति संलग्न की है.**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिया गया विवरण सही है और हमारे अभिलेखों के अनुसार है. सभी जमा/धनवापसी को उपरोक्त बैंक खाते में निर्देशित किया जाएगा.

बैंक की मोहर

____
अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक D D M M Y Y Y Y

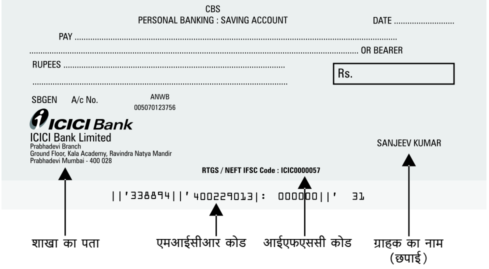

ईसीएस/प्रत्यक्ष जमा का अनुरोध अमान्य कर दिया जाएगा यदि :
1. उपरोक्त खाता विवरण आपके बैंक अभिलेखों से मेल नहीं खाते हैं. 2. निरस्त किए गए चेक/चेक की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है.

प्रत्यक्ष आहरण के लिए हम निम्नांकित बैंकों से सम्बद्ध हैं -					
ऐक्सिस बैंक	इलाहबाद बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया	सिटीबैंक	कॉर्पोरेशन बैंक
फेडरल बैंक	एचडीएफसी बैंक	आईसीआईसीआई बैंक	इंडसइंड बैंक	आईडीबीआई बैंक	जम्मू एंड कश्मीर बैंक
कोटक महिन्द्रा बैंक	कर्नाटक बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	यूको बैंक			

घोषणा :

- मैं प्रत्यक्ष आहरण सुविधा पाना चाहता/चाहती हूँ और एतद् द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा/प्रत्यक्ष आहरण में भागीदारी के ज़रिये उपरोक्त के संदर्भ में अपनी पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने के लिए बिना शर्त सहमति देता/देती हूँ. मैं समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ कि मेरे खाते से आहरित प्रीमियम राशि करों के व अन्य वैधानिक कर दायित्वों (जैसा भी समय-समय पर लागू हो) के कारणअलग-अलग हो सकती है.
- इसके द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि दिया गया विवरण सत्य, सही और पूर्ण है. मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि नियत तिथि (बशर्ते वह दिन कार्य दिवस हो) को लेनदेन, पॉलिसी पर प्रभावी होगा. यदि अपूर्ण और गलत जानकारी दिए जाने के कारण लेनदेन में देरी होती है और यह बिल्कुल प्रभावी नहीं होता, तो मैं उपयोगकर्ता संस्थान (कम्पनी) को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी. योजना के अंतर्गत एक प्रतिभागी के रूप में मुझसे अपेक्षित ज़िम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं अपनी सहमति देता/देती हूँ. मैं यहाँ भरी गई जानकारी की वास्तविकता और सत्यता की पूर्ण ज़िम्मेदारी लेता/लेती हूँ.
- यदि मेरा ईसीएस आदेश क्रियाशील है और जब तक कि मैं ईसीएस/प्रत्यक्ष आहरण को रद्द किए जाने के लिए एक लिखित अनुरोध नहीं करता/करती, मैं उपरोक्त बैंक को अपने बैंक खाते से आहरित करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ..
- मैं आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेन्स कं. लि. को अपने प्रीमियम भुगतान के लिए ईसीएस/प्रत्यक्ष आहरण सुविधा को सक्षम बनाने के लिए और प्रत्यक्ष आहरण/ईसीएस डेबिटके अनादरणकी अवस्था में उल्लेखित बैंक के साथ मेरे खाते से देय प्रीमियम पुनः आहरित करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ.
- भविष्य में, यदि मैं ईसीएस/प्रत्यक्ष आहरण प्रणाली से बाहर निकलता/निकलती हूँ तब प्रीमियम राशि में वृद्धि हो सकती है.
- यदि दिए गए ईसीएस आदेश के अनुसार प्रीमियम की अंतिम तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो मैं एतद् द्वारा प्रति लेनदेन ₹ 150/- वसूलने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ.
- मैं समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि इस प्रपत्र को जमा कर लिए जाने का मतलब यह नहीं कि अनुरोध पर कार्यवाही कर ली जाएगी. मैं समझता/समझती हूँ कि इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी भुगतान कठोरतापूर्वक पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा. साथ ही कोई भी भुगतान पिछले नवीनीकरण प्रीमियम भुगतान की वसूली के अधीन होगा.
- मैं इस बात को भी समझता/समझती हूँ और इससे सहमत हूँ कि कम्पनी के पास किसी भी वैकल्पिक भुगतान विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित है.

पॉलिसी केपुन:प्रवर्तन की स्थिति में :

- मैं अपनी उपरोक्त सभी पॉलिसियों को पुन:प्रवर्तित करना चाहता/चाहतीहूँ जो अभी लागू नहीं हैं.
- मैं पॉलिसी के पुन:प्रवर्तन के उद्देश्य सेकम्पनी को ब्याज (नॉन यूनिट लिंक्ड उत्पादकी स्थिति में)सहित सभी बकाया प्रीमियमों की कटौती करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ. मैं जानता/जानती हूँ कि लिंक्ड उत्पादों की स्थिति में उस अवधि के लिए जबकि पॉलिसी रद्द अवस्था में थी, कम्पनी मृत्युदर और अन्य प्रभारों की कटौती कर लेगी.
- मैं समझता/समझती हूँ कि सिर्फ़ ब्याज सहित बकाया प्रीमियम के भुगतान द्वारा ही पॉलिसी पुनः लागू नहीं की जा सकती है. मैं पुन:प्रवर्तन से जुड़ी सभी औपचारिकताओं के साथ, जो कि कम्पनी ने निर्धारित की है, इसका पालन करने का उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ. पॉलिसी सिर्फ़ तभी प्रभावी होगी जब इसके लिए विशेष रूप में कम्पनी द्वारा मुझे सूचित किया जाएगा.
- मैं समझता/समझती हूँ कि कम्पनी के पास पॉलिसी के पुनः जीवित किए जाने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है.

Comp/doc/May/2013/143

प्राथमिक पॉलिसीधारक के हस्ताक्षर (यदि प्राथमिक खाताधारक पॉलिसीधारक से अलग है)	**पॉलिसीधारक के हस्ताक्षर**	**संयुक्त खाताधारक के** हस्ताक्षर 1	**संयुक्त खाताधारक के** हस्ताक्षर 2

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु :

स्पार्क कॉल आईडी ____________ **दिनांक** D D M M Y Y Y Y

स्कैनिंग कैबिनेट ____________ **प्राप्तकर्ता** ____________

टिप्पणियाँ ____________

मोहर और समय

प्राप्ति पर्ची :

प्राप्तकर्ता ____________ **दिनांक** D D M M Y Y Y Y

पॉलिसी क्रमांक

प्रीमियम के संग्रहण और/या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विकल्प के लिए आवेदन प्राप्त : ☐ **ईसीएस द्वारा** ☐ **प्रत्यक्ष आहरण द्वारा**

टिप्पणी :

- यह आदेश उपरोक्त पॉलिसी/पॉलिसियों के पुन:प्रवर्तन के लिए लागू होगा.
- ईसीएस/प्रत्यक्ष आहरण सुविधा के निरस्तीकरण के लिए अनुरोध अंतिम तिथि के 15 दिन पहले करना होगा अन्यथा यह अगले प्रीमियम की नियत तिथि से लागू होगा.
- भुगतान के प्रकार में ईसीएस/प्रत्यक्ष आहरण में परिवर्तन के लिए अनुरोध नियत तिथि के 30 दिन पहले करना होगा अन्यथा यह अगले प्रीमियम की नियत तिथि से लागू होगा.
- निरस्त चेक और प्रस्ताव-प्रपत्र में ग्राहक द्वारा प्रदत्त आंकड़े कम्पनी द्वारा उस स्थिति में ईसीएस आदेश को पूर्ण करने में प्रयोग किए जा सकते हैं जब आवश्यक जानकारी की पूर्ति नहीं की गईहो.
- जब तक लेनदेन पूर्ण न हो जाए इस प्राप्ति पर्ची को संभाल कर रखें.
- आवेदन आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल के अधिकृत केन्द्र पर इस प्रपत्र की प्राप्ति पर प्रमाणित होगा.
- भविष्य में, यदि ग्राहक ईसीएस/प्रत्यक्ष आहरण प्रणाली से बाहर निकलता है तब प्रीमियम राशि में वृद्धि हो सकती है.
- यदि ईसीएस आदेश के अनुसार प्रीमियम की नियत तिथि परभुगतान अनादरित हो जाता है तो प्रति लेनदेन ₹ 150/- वसूले जाएंगे.
- युलीप पॉलिसियों के लिए, लागू एनएवी प्रीमियम की नियत तिथि या प्रीमियम प्राप्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, होगी.

मोहर और समय